न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नं. – 2021/72
प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021

दायर दिनांक 09–02–2021

1. देवकरण पुत्र शिशुपाल
2. शिम्भू पुत्र शिशुपाल
3. सुरेश राम पुत्र शिशुपाल
   समस्तगण जाति जाट निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

–आवेदकगण

बनाम

1. दुर्गी देवी पत्नी झूमापुरी जाति गुसाई निवासी गुसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

–अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं0धारा 251 ए रा0का0अधि0

वकील आवेदक– श्री राजेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक– श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़

निर्णय

दिनांक 12–04–2021

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1043 रकबा 3.39 हैक्टर स्थित है जिसके आवेदकगण बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा भूमि खसरा नम्बर 2199 /1043 रकबा 0.2734 हैक्टर अनावेदिका संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। आवेदकगण की भूमि को नजरी नक्शा में "ए" मार्क से व अनावेदिका संख्या 1 की भूमि को नजरी नक्शा में "बी" मार्क से दर्शाया गया है उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का ही भाग है।

आवेदकगण की भूमि में आने–जाने के एकमात्र पगडण्डी अनावेदिका संख्या 1 की भूमि के उतर मे से जाने वाले आम रास्ते से फटकर अनावेदिका संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2199/1043 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे कदीम से ही रही है जिसको नजरी नक्शे मे लाल स्याही से व सी से डी मार्क से दर्शाया गया है जिससे आवेदकगण आवागमन करते रहे है तथा अपने पशु–मवेशी आदि लाते ले जाते रहे है तथा बैल, ऊँट आदि से कृषि कार्य भी करते रहे है, वर्तमान समय में कृषि अत्याधुनिक मशीनों ट्रेक्टर आदि से की जा रही है जबकि पगडण्डी से ट्रेक्टर, मशीने आदि लाना सम्भव नही है आवेदकगण ने अपनी भूमि में कुआ बना रखा है तथा मकान बनाकर आबाद हो गये है जिसमें आने–जाने का उक्त के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है कुऐ की मोटर खराब होने आवेदकगण के घर में किसी के बीमार होने पर ना तो वाहन पगडण्डी से आवेदकगण के खेत तक आ–जा सकते है तथा ना ही कुऐ से मोटर आदि निकालने के लिये

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

मशीन आदि आ सकती है तथा ना ही आवेदकगण अपनी भूमि की उपज को बाजार में बेचने के लिये ट्रेक्टर आदि से जा सकते है। उक्त साधनों के आने–जाने के लिए कम से कम 8 फीट चौड़े रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता रहती है जिसके लिए आवेदकगण ने अनावेदिका संख्या 1 को उक्त पगडण्डी को चौडा कर 8 फीट चौडा रास्ता कायम करने के लिए और रास्ते के वेस्ट हाने वाली भूमि के बदले में आवेदगण की खातेदारी भूमि मे से भूमि लेने के लिए कहा तो अनावेदिका संख्या 1 ने पगडण्डी को चौडा कर 8 फीट रास्ता कायम करने से साफ इंकार कर दिया और धमकी दी कि आपको यहां से कोई रास्ता नही मिलेगा और पगडण्डी भी बंद कर दूंगी।

आवेदकगण को अपनी भूमि का फायदाप्रद उपयोग–उपभोग करने के लिये आनावेदिका संख्या 1 की भूमि मे से रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा उक्त कदीमी पगडण्डी के अलावा आवेदकगण की कृषि भूमि में कदीमी पगडण्डी के अलावा आवेदकगण की कृषि भूमि में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता भी मौके पर मोजुद नही है। इसलिए आवेदकगण को अनावेदिका संख्या 1 की भूमि मे से कदीमी पगडण्डी मार्क सी से डी को चौडा कर 8 फीट का रास्ता कायम किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है ताकि उक्त रास्ते से प्रार्थी आ जाकर अपनी भूमि का फायदाप्रद उपयोग–उपभोग कर सके व अत्याधुनिक संसाधनों से कृषि कार्य कर अपनी उपज को बढ़ा सके।

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनावेदिका संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 2199/1043 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित सी से डी कदीमी पगडण्डी को 8 फीट चौडा कर रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे व रास्ते में वेस्ट वाली भूमि के बदले में आवेदकगण की भूमि मे से भूमि या डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो न्यायालय उचित समझे आवेदकगण देने को तैयार है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया तथा अनावेदक संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये।

तत्पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार नवलगढ के क्रमांक/राजस्व / 2020/324 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा वर्णित किया गया कि विवादित रास्ते के संबंधम में भू–अभिलेख निरीक्षक जाखल से मौका जांच रिपोर्ट करवायी गयी जिसके मुताबिक आवेदकगण देवकरण, शिम्भू, सुरेशराम पुत्र शिशुपाल जाति जाट निवासी गुसाई की ढाणी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1043/339 में मकान बनाकर आबाद है आवेदकगणों को अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 1043 मे प्रवेश हेतु अनावेदिका संख्या 01 दुर्गी देवी पत्नी झुमापुरी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2199/1043 मे से गुजर कर प्रवेश करने हेतु खसरा नम्बर 2199/1043 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 107 मीटर लम्बाई x 8 फीट चौड़ाई की भूमि की आवश्यकता है इस प्रकार 107 x 3.25 = 348 फीट लम्बी x 8 फीट चौडी = 2784 वर्ग फीट अर्थात 2784/10.76 = 289 वर्गमीटर भूमि की आवश्कता है। मोके का नजरी नक्शा बनाया गया है।

वकील अनावेदिका संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त मोका रिपोर्ट का अवलोकन कर जमीन के बदले जमीन देने हेतु रास्ता कायम करने की सहमति जाहिर की गई।

मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील अनावेदक संख्या 01 ने आवेदकगण द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध मे वेस्ट जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता कायम किया जाता है पर कोई आपति नही होना जाहिर किया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त कदीमी पगडण्डी के अलावा आवेदकगण की कृषि भूमि में कदीमी पगडण्डी के अलावा आवेदकगण की कृषि भूमि में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता भी मौके पर मौजूद नही है। इसलिए आवेदकगण को अनावेदिका संख्या 1 की भूमि मे से कदीमी पगडण्डी मार्क सी से डी को चौडा कर 8 फीट का रास्ता कायम किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है ताकि उक्त रास्ते से प्रार्थी आ जाकर अपनी भूमि

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested

का फायदाप्रद उपयोग–उपभोग कर सके व अत्याधुनिक संसाधनों से कृषि कार्य कर अपनी उपज को बढा सकें। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाता है।

:: **आदेश** ::

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गुसाई की ढाणी तन कारी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1043 मे प्रवेश हेतु अनावेदिका संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2199/1043 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे कदीमी पगडण्डी को 107 मीटर लम्बाई x 8 फीट चौड़ाई चौडा कर इस प्रकार 107 X 3.25 = 348 फीट लम्बी x 8 फीट चौडी = 2784 वर्ग फीट अर्थात 2784/10.76 = 289 वर्गमीटर गै0मु0 रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि 2784 वर्ग फीट अर्थात 2784/10.76 = 289 वर्गमीटर आवेदगण के खेत खसरा नम्बर 1043 के उतरी सीमा के सहारे–सहारे जमीन के बदले जमीन देने पर प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता (सिवाय चक) दर्ज करें। जमीन के बदले जमीन अनावेदक संख्या 01 को दिलाई जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:28:40 IST
Reason: SelfAttested